पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय-रायपुर (म0प्र0)

// अधिसूचना //

क्रमांक/2303/अका/2000 रायपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2000.

समन्वय समिति ने अपनी 62वीं (बासठवीं) बैठक दिनांक 29-05-2000 को अंश "क" (सामान्य) "ख" अध्यादेश एवं "ग" परिनियम को निम्नानुसार अनुमोदित किया -

भाग- क (सामान्य)

विषय क्रमांक- क-1 समन्वय समिति की 61वीं बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2000 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि :

समन्वय समिति की 61वीं बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2000 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई ।

विषय क्रमांक-क-3 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति चक्रीय क्रम से एक निर्धारित अवधि के लिये किए जाने के संबंध में विचार :

विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभागों के विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में वर्तमान व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए विभागाध्यक्ष की नियुक्ति चक्रीय क्रम से किए जाने के स्थायी समिति के निर्णय को अनुमोदित किया गया एवं निर्णय लिया गया कि -

(1) विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभागों में विभागाध्यक्ष या उसके समतुल्य निदेशक/केन्द्र निदेशक/विभाग प्रमुख हेतु संबंधित विभाग में कार्यरत प्राध्यापक की नियुक्ति एक नियत अवधि के लिये (जो कि तीन वर्ष से अधिक न हो । यदि विभाग में एक ही प्राध्यापक हो, तो रीडर पद पर कार्यरत शिक्षक की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है ।

(2) विभागाध्यक्ष की नियुक्ति की तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के साथ ही कार्यरत विभागाध्यक्ष या उसके समतुल्य निदेशक/केन्द्र निदेशक/विभाग प्रमुख के कार्यों का अकादमिक मूल्यांकन (अंकेक्षण) उक्तकार्यावधि में उनके द्वारा किए गए शोध कार्य, शिक्षण एवं प्रशासनिक दक्षता के आधार पर, एक समिति द्वारा किया जावेगा । इस समिति मेंसंबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति तथा संबंधित संकाय के अध्यक्ष (डीन) होंगे । जहाँ पर संबंधित विभागाध्यक्ष ही संकाय अध्यक्ष भी हों, वहाँ उक्त मूल्यांकन कुलपति द्वारा किया जाएगा ।

(3) यदि उपरोक्त मूल्यांकन में विभागाध्यक्ष या उसके समतुल्य निदेशक/केन्द्र निदेशक/विभाग प्रमुख उपयुक्त पाए जाते हैं, तो उन्हें आगामी तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनः विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा ।

(4) यदि उपरोक्त (3) के अन्तर्गत मूल्यांकन में विभागाध्यक्ष के समतुल्य निदेशक/केन्द्र निदेशक/विभाग प्रमुख को उपयुक्त नहीं पाया गया तो उनके स्थान पर किसी अन्य प्राध्यापक को विभागाध्यक्ष नामांकित किया जा सकेगा । यदि विभाग में एक ही प्राध्यापक है, तो रीडर स्तर के समस्त शिक्षकों का समिति द्वारा अकादमिक मूल्यांकन किया जावेगा तथा सर्वश्रेष्ठ रीडर को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जावेगा ।

...2/

(5) विभाग में रीडर उपलब्ध न होने की स्थिति में भी व्याख्याता को चक्रीय क्रम में विभागाध्यक्ष पद हेतु विचार में नहीं लिया जाएगा ।

(6) उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश/परिनियम में संशोधन करेंगे ।

विषय क्रमांक-4 श्रेणी सुधार हेतु छात्रों को पुनर्मूल्यांकन सुविधा देने के संबंध में ।

निर्णय लिया गया कि श्रेणी सुधार हेतु सम्मिलित छात्रों की परीक्षा को भी एक सामान्य परीक्षा की भांति मानते हुए उन्हें पुनर्मूल्यांकन की सुविधा उसी प्रकार प्रदान की जावे, जिस प्रकार अन्य परीक्षार्थियों को दी जाती है । तदानुसार समस्त विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश में संशोधन करेंगे ।

विषय क्रमांक-5 मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) समूह सी (xx) में संशोधन :

धन के आधार पर विश्वविद्यालयों की कार्यपरिषद् में सम्मिलित हो जाने वाले कुछ सदस्यों के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा विस्तार से विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 में निम्नानुसार संशोधन किया जाए -

(1) अधिनियम की धारा 27(1) समूह सी (xx) को संशोधित करते हुए वर्तमान एक लाख के दान की राशि को बढ़ाकर पांचलाख किया जावे ।

(2) अधिनियम की धारा 23(1)(aaa) को विलोपित किया जाए ।

विषय क्रमांक-क(7) विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत होने वाली नियुक्तियों हेतु गठित चयनसमिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग का एक सदस्य होने विषयक विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन :

मध्यप्रदेश लोकसेवा आरक्षण अधिनियम,-1994 के लागू होने के परिप्रेक्ष्य में चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग के सदस्य की अनिवार्यता के संबंध में निर्णय लिया गया कि -

(1) गैर-शिक्षकीय पदों हेतु की जाने वाली नियुक्तियों की चयन समिति में उपरोक्तानुसार एक सदस्य का रखा जाना अनिवार्य होगा । तदानुसार संबंधित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किया जावे ।

(2) म0प्र0विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 49 (2)(4) के अन्तर्गत - शैक्षणिक पदों की नियुक्ति हेतु चयन समिति के वर्तमान प्रावधानों को संशोधित करते हुए तीन विशेषज्ञों में से कम से कम एक विशेषज्ञ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग से नामांकित किया जाए । इन वर्गों से विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की स्थिति में इन वर्गों से चयन समिति में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये एक शिक्षाविद् अथवा प्रशासकीय अधिकारी, जो म0प्र0 शासन के आयुक्त स्तर से अन्यून (कम न) हो, नामांकित किया जा सकेगा ।

विषय क्रमांक-क-2 महाविद्यालयों में प्रवेश के मार्गदर्शी सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में अध्यादेश में संशोधन :

इस प्रकरण में विधि विभाग द्वारा दिए गए अभिमत के अनुसार शासन

अध्यादेशों का स्थान नहीं ले सकते और न ही उनके ऊपर प्रभावी हो सकते हैं। अभिमत के अनुसार जब तक विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 में कोई विस्तृत संशोधन न किया जाए तब तक राज्यशासन के द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत केवल मार्ग दर्शक ही होंगे, वे विधिक स्थान नहीं ले सकते, चाहे वे अधि नियम की धारा-34 के अधीन निर्मित समन्वय समिति के निर्देशानुसार ही क्यों न विनिश्चयमित हो। विधि विभाग ने यह अभिमत दिया कि मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के द्वारा अध्यादेशों का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए तभी वे न्यायालय के सम्मुख विधिक स्थिति में प्रबल होंगे।

§2§ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्यशासन मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रतिवर्ष जारी करने के बजाए कम-से-कम पाँचवर्षों के लिये प्रवेश के नियम बनाने पर विचार करें एवं तदानुसार विश्वविद्यालयों के संबंधित अध्यादेश में संशोधन किया जाए अथवा उन्हें पुनर्निर्मित किया जाए। यह प्रक्रिया सत्र 2001-2002 के प्रवेश के मार्गदर्शी सिद्धांत जारी होने के पूर्व पूर्ण कर लिया जाए।

विषय क्रमांक-क-10

मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में एल0एल0एम0 में प्रवेश हेतु विधि स्नातक परीक्षा में 60प्रतिशत अंक की अनिवार्य अर्हता के स्थान पर 55प्रतिशत अंक मान्य किए जाने के संबंध में :

निर्णय लिया गया कि एल0एल0एम0 में प्रवेश हेतु विधि स्नातक परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक की अनिवार्य अर्हता ही रखी जाए।

विषय क्र0-क-12

समाचार पत्रों में विश्वविद्यालयों के विज्ञापनों का प्रकाशन डी0ए0वी0पी0 दरों पर किए जाने हेतु :

निर्णय लिया गया कि उच्चशिक्षा विभाग द्वारा डी0ए0 वी0पी0 एवं पी0आई0बी0 को इस निवेदन के साथ पत्र लिखा जाए कि क्योंकि - विश्वविद्यालय अधिकांशतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलनेवाली अनुदान राशि से संचालित होते हैं अतः विश्वविद्यालयों से संबंधित विज्ञापनों का प्रकाशन डी0ए0वी0पी0 की दरों पर किया जाए।

विषय क्र-क-13

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पारिश्रमिक की सीमा में वृद्धि किए जाने के संबंध में :

निर्णय लिया गया कि -

§1§ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की राशि की सीमा निर्धारित करने में परीक्षा संबंधी किसी अन्य कार्य के पारिश्रमिक की गणना नहीं की जावे।

§2§ मूल्यांकन पारिश्रमिक सीमा रु पये 4,000/- से बढ़ाकर रु पये 6,000/- निर्धारित की जावे तथा असाधारण एवं विशेष परिस्थिति में यह सीमा रु 0 10,000/- तक मान्य की जावे।

§3§ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की राशि सीमा निर्धारित करते समय मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन को 3 स्वतंत्र इकाईयों के रूप में स्वीकार करते हुए एक परीक्षा का पारिश्रमिक दूसरी किसी परीक्षा के साथ न जोड़ा जावे।

विषय क्र0-क-15 गृहविज्ञान संकाय के अन्तर्गत बाल विकास, गृहप्रबंध, आहार एवं पोषण, तथा वस्त्र एवं तन्तु विज्ञान को अलग-अलग विषय माने जाने के संबंध में।

प्रकरण पर विस्तार से विचार-विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि समन्वय समिति की 56वीं बैठक में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के संदर्भ में परिनियम 10 आईटम 10 में तत्समय विज्ञान शब्द " होमसाईंस" को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर गृह प्रबंध एवं पोषण, बालविकास एवं वस्त्र तथातन्तुविज्ञान का समावेश करने के अनुमोदन अध्ययन मण्डल के गठन के संदर्भ में किया गया था। अतः उक्त संशोधन को पूर्णतः अकादमिक माना जाए एवं गृहविज्ञान विषय के विभिन्न विषयों को भिन्न-भिन्न अध्ययन मण्डलों के गठन के संदर्भ में ही पढ़ा जावे। प्रशासनिक दृष्टि से या पदों के निर्माण/पदोन्नति हेतु गृहविज्ञान के विभिन्नविषयों को अलग-बलग न मानते हुए गृहविज्ञान विषय को समग्र रूप से एक विषय के समान ही माना जावे।

विषय क्र0-ख-16 विभिन्न विश्वविद्यालयों में लंबित ऑडिट आपत्तियों की समीक्षा।

महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा इस बिन्दु पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की गई। ऑडिट आपत्तियों के निराकरण तथा भविष्य में इस प्रकार की आपत्तियाँ न उत्पन्न हो, इसकी रोकथाम की दृष्टि से निम्नानुसार निर्णय लिए गए -

§1§ अग्रिम- निर्णय लिया गया कि समस्त विश्वविद्यालय उनके द्वारा दिये गये अग्रिमों के हिसाब-किताब को अद्यतन करते हुए इस हेतु गठित उच्चाधिकार प्राप्त समितिको आगामी दो माह में स्पष्ट स्थिति से अवगत करायेंगे, इसके साथ ही अग्रिमों की वसूली सख्ती से किए जाने के उपाय भी विश्वविद्यालयों द्वारा किए जाएंगे, जिसमें ऐसे विश्वविद्यालयीन अधिकारी/कर्मचारी, जिनके विरुद्ध लंबित अग्रिमों के समायोजन नहीं हुआ है, उनके वेतन भुगतान न किए जाने की व्यवस्था भी शामिल की जा सकेगी।

§2§ ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के प्रकरण, जिनके द्वारा अग्रिम के विरुद्ध समायोजन हेतु दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं, परन्तु ऑडिट द्वारा उनका त्वरित निराकरण नहीं किया जा रहा है, संबंधित विश्वविद्यालय समेकित रूप से उच्चशिक्षा विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे, ताकि वित्त विभाग द्वारा इस दिशा में समुचित निर्देश जारी किए जा सकें।

§2§/ हड़ताल की अवधि का भुगतान-

निर्णय लिया गया कि हड़ताल की अवधि को संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में देय अवकाश के साथ समायोजित किया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि जहां पर गलत तरीके से भुगतान कर दिया गया हो, वहां संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए।

§3§/ विलम्ब शुल्क से प्राप्त आय-

निर्णय लिया गया कि विलम्ब शुल्कसे प्राप्त राशि को विश्वविद्यालय के "कार्पसफण्ड" में जमा किया जावे।

§4§/ परिनियम 28§ के अन्तर्गत भुगतान

समिति ने इस विषय पर विस्तार से चर्चाकी। विश्वविद्यालयीन अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न मदोंमें भिन्न-भिन्न प्रकार से अलग-अलग भत्ते दिए जा रहे हैं। अध्यक्ष की अनुमति से भत्तों के निर्धारण के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अपने संबंधित परिनियम में संशोधन कर अपने ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को जो

ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें उनके पद के दायित्वों/कर्तव्यों के नियमित रूप से निर्वहन हेतु निश्चित कार्य लघीन समयावधि के अतिरिक्त समयदेकर कार्य सम्पादित करना होता है, को उनके मूल वेतन के 6.25प्रतिशत अथवा रूपये 500/- (रूपांच सौ) प्रतिमाह, जो भी कम हो, विशेष भत्ते के रूप में दिए जाने हेतु प्रावधानित करेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी कार्य के लिए कोई भी विशेष भत्ता देय नहीं होगा। इस परिप्रेक्ष्य में परिनियम 2 की कंडिका (2) के पैरा दो में निम्नानुसार संशोधन किया जावेगा-

" PROVIDED THAT SUCH ALLOWANCE SHALL NOT EXCEED 6.25% (SIX POINT TWO FIVE PERCENT) OF THE BASIC SALARY OF SUCH EMPLOYEE OR RS. 500/- (RUPEES FIVE HUNDRED ONLY) WHICH EVER IS LESS."

उपरोक्त व्यवस्था केवल सहायक कुलसचिव एवं उससे नीचे के स्तर के अधिकारी तक ही सीमित होगी।

(ii) सहायक कुलसचिव के उपर के स्तर के अधिकारियों को किसी प्रकार के अतिरिक्त भत्तों की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी प्रकार के अन्य वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे।

(5) दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति

विश्वविद्यालयों में भविष्य में दैनिक वेतन भोगी के रूप में किसी भी कर्मचारी को न तो नियुक्त किया जाएगा और न ही उनका नियमितीकरण किया जाएगा।

(6) स्वीकृत वेतन से उच्चवेतन दिए जाने के संबंध में

निर्णय लिया गया कि पद/वेतनमान की स्वीकृति की प्रत्याशा में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को स्वीकृत वेतनमान से उच्च वेतनमानदिए जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जावे।

(7) बैंक समाशोधन (रीकन्सीलेशन)

निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में लेखाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह प्रतिमाह बैंक खातों का रीकन्सीलेशन सुनिश्चित करे। यदि इस संबंध में किसी वित्त अधिकारी द्वारा लापरवाही की जाएगी तो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा इसकी सूचना वित्त विभाग को प्रेषित की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी 6 माह में बैंक से संबंधित समस्त हिसाब-किताब दुरुस्त कर लिया जाए।

(8) भण्डार सामग्री का सत्यापन

निर्णय लिया गया कि ऐसे विश्वविद्यालयों में, जहां पर कि भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं किया गया है, आगामी 30 जुलाई, 2000 तक अनिवार्यतः सत्यापन कर लिया जावे। यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि - विश्वविद्यालयों में भण्डार सामग्री के अप्रलेखनके लिये समुचित प्रावधान नहीं है, यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय इस हेतु समुचित परिनियमों का निर्धारण करेंगे।

(9) स्थानीय लेखा संपरीक्षा

इस बात पर विशेष चिंता व्यक्त की गई कि स्थानीय लेखा संपरीक्षा से संबंधित अधिकारी बहुत से प्रकरण में पर प्रावधानिक (प्रोविज़नल) आधार पर देयक भुगतान हेतु पारित कर देते हैं। बाद में उन पर आपत्ति आने पर वही प्रावधानिक निर्णय ऑडिट पैरा के रूप में सामने आ जाते हैं। संचालक, स्थानीय लेखा संपरीक्षा को विभाग द्वारा यह लिखा जावे कि वे अपने अधिकारियों को इस आशय के

न किया जाये । यदि भविष्य में उक्त देयक के भुगतान के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है, तो संबंधित रेजिडेंट ऑडिटर की इस हेतु जिम्मेदारी ठहराई जा सकेगी ।

10/ लिमये समिति की रिपोर्ट

लिमये समिति के प्रतिवेदन पर यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में बैठक कर विश्वविद्यालयों के कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी/वित्तीय सलाहकार, वित्तविभाग के प्रतिनिधि अधिकारी, महामहिम राज्यपाल सचिवालय के अधिकारी एवं उच्चशिक्षा विभाग के अधिकारी चर्चा कर समुचित निर्णय लेंगे ।

§11§/ विश्वविद्यालय में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना

विश्वविद्यालय के वित्तीय अनुशासन के समुचित पालन को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि विश्वविद्यालय के कुलसचिव को वित्तीय अनुशासन के पालन को सुनिश्चित किए जाने का दायित्व प्रमुखत: सौंपा जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए उसकी व्यक्तिगत रूप से जवाबदारी निर्धारित की जानी चाहिये । इस समस्या के परिप्रेक्ष्य में कुछ बिन्दुओं पर कुलसचिव एवं कुलपति में मतभेद हो सकते हैं, निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरणों को कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

विषय क्र0-क-17 विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों की पुनर्संरचना

निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों की पुनर्संरचना हेतु एक समिति का गठन किया जाए, जो विश्वविद्यालयवार प्रस्तावों का परीक्षण कर समुचित अनुशंसा प्रस्तुत करेगी । इस समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे:-

§1§ संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति,
§2§ प्रमुख सचिव, उच्चशिक्षा,
§3§ वित्त विभाग के प्रतिनिधि § कम से कम उपसचिव स्तर के §,
§4§ महामहिम राज्यपाल के उपसचिव-संयोजक,
§5§ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा, §विश्वविद्यालय समन्वय प्रकोष्ठ§,

टीप- समिति तीन माह में अपना प्रतिवेदन देगी ।

विषय क्रमांक-क-18 बिना समुचित अध्यादेश के पाठ्यक्रमों को चलाए जाने के संबंध में ।

निर्णय लिया गया कि -

§1§ ऐसे सभी पाठ्यक्रमों को नियमानुसार 31 मई, 2000 तक नियमित कर लिया जाए,
§2§ दिनांक 26-04-2000 के पश्चात् के किसी भी पाठ्यक्रम को इस प्रकार कतई लागू न किया जाए,
§3§ दूसरे विश्वविद्यालयों के अध्यादेशों को अंगीकृत किए जाने की स्थिति में समन्वय समिति को पूर्व में अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए,
§4§ शासन द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में शाखाओं की अनुमति तभी दी जावे, जबकि पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश पूर्व से ही सक्षम रूप से अनुमोदित हो । यदि अनुमोदित अध्यादेश के बिना शासन द्वारा उक्त अनुमति दे भी दी जाए, तो संबंधित कुलपति इसे अनुमोदित अध्यादेश के अभाव की टीप सहित शासन को पुनर्विचार हेतु वापस भेजेंगे ।

विषय क्र0-क-19 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान राशि की उपयोगिता ।

गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा यह देखा जाए कि कोई भी राशि लैप्स न हो ।

विषय सं0-क-20 संचालक, शारीरिक शिक्षा, ग्रंथपालों के संबंध में परिनियम क्रमांक-20 में संशोधन ।

विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित परिनियम क्रमांक-20 में संचालक शारीरिक शिक्षा तथा लाईब्रेरियन के पद को विश्वविद्यालय अधिकारी माना गया है । कुलपतिगण ने अवगत कराया कि संचालक, शारीरिक शिक्षा के पद को उच्चतम न्यायालय ने शैक्षणिक पद मान्य किया है । अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए इस पद को परिनियम -20 से पृथक करना उचित होगा। उनका यह भी मत था, कि संचालक शारीरिक शिक्षा तथा लाईब्रेरियन के पद पर नियुक्तियाँ म0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-49 के तहत शैक्षणिकपदों की तरह की जाती है । विश्वविद्यालय में बी0लिब्0, बी0पी0एड0 एम0पी0एड0 के नियमित/पत्राचार पाठ्यक्रम पढ़ाये जा रहे हैं । ऐसी स्थिति में इन पदों को शैक्षणिक पद घोषित किया जाकर इन्हें परिनियम -20 से पृथक किया जाए । §28§ इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की जाकर समन्वय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा/लाईब्रेरी साईंस के पाठ्य चल रहे हैं, एवं वहाँ पर संचालक, शारीरिक शिक्षा व लाईब्रेरियन के पद पर नियुक्तियाँ धारा-49 के अन्तर्गत की गई है, वहाँ इन पदों को शैक्षणिक मानते हुए परिनियम-20 से हटाया जाए ।

विषय सं0-क-21 शिक्षकीय पदों पर आरक्षण के संबंध में ।

निर्णय लिया गया कि विधि विभाग के अभिमत के प्रकाश में प्रकरण समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।

विषय सं0-क-22 विश्वविद्यालय के अकादमिक/मूल्यांकन निकायों में नामांकन ।

महामहिम कुलाधिपति सचिवालय ने समन्वय समिति के समक्ष यह बिन्दु रखा, कि विश्वविद्यालयों द्वारा उपरोक्त निकायों में सदस्यों के नामांकन हेतु समुचित जानकारी प्रेषित नहीं की जाती है, जिसके अभाव में नामांकन हेतु उपयुक्त निर्णय लिए जाने में असुविधा होती है । अतः समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि भविष्य में व्यक्तियों के बायोडॉटा भेजते समय वे इसका ध्यान रखेंगे तथा वे चाही गई जानकारी तत्काल कुलाधिपति सचिवालय को भेजेंगे ।

विषय सं0-क-23 एम0सी0एम0 पाठ्यक्रमों को निरंतर रखने के संबंध में ।

इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर समन्वय समिति की 61वीं बैठक दिनांक 20-01-2000 में लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि एम0सी0एम0 पाठ्यक्रम निरंतर रखें जावे, तथापि इस हेतु वांछित समस्त अधोसंरचना की उपलब्धता का सुनिश्चित किया जाना संबंधित विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होगी ।

विषय सं0-क-24 विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था ।

निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की सुरक्षा को किसी एजेन्सी को सौंपने के बजाए इसे भूतपूर्व सैनिकों को सौंपा जाना उचित होगा । इस संबंध में वि0वि0 सैनिक कल्याण बोर्ड को अपनी आवश्यकता से अवगत कराते हुए उनके सहयोग से परिसर की सुरक्षा व्यवस्था करेंगे ।

...8/

विषय सं0-क-25 सैन्यकर्मियों/अधिकारियों के पालकों हेतु बी0एड0पाठ्यक्रम ।

(एक) 1. पचमढ़ी स्थित सेना कोर प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं केन्द्र द्वारा प्रेषित पत्र में यह अवगत कराया गया कि उनका केन्द्र, जो कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का एक स्वशासी महाविद्यालय है, बी0एड0 तथा एम0एड0 के पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है, जिन्हें एन0सी0टी0ई0 तथा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है ।

(दो) महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित किया गया कि सेना बी0एड0 पाठ्यक्रम की इस सुविधा को युद्ध में शहीद अधिकारी/जवानों की विधवाओं एवं विधि सम्मत पालयों तथा युद्ध में स्थायी रूप से अपंग सैन्य अधिकारियों/सैन्य कर्मियों की पत्नीयों एवं पालयों को भी प्रदान करना चाहती है । केन्द्र द्वारा बी0एड0 विद्यार्थियों की क्षमता 30 से बढ़ाकर 60 किए जाने हेतु भी प्रस्तावित किया गया ।

(तीन) समन्वय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि -

(अ) बी0एड0 पाठ्यक्रम की अनुमति युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं/विधि सम्मत पालयों एवं स्थायी रूप से अपंग हुए सैनिकों की पत्नी एवं विधि सम्मत पालयों को भी दी जावे ।

(ब) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में बी0एड0पाठ्यक्रम में निर्धारित विद्यार्थियों की संख्या 30 से बढ़ाकर 60 किए जाने की अनुमति प्रदान की जावे ।

(दो) उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 25-26 अप्रैल, 2000 को स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ए0ई0सी0 ट्रेनिंग कालेज, पचमढ़ी, द्वारा संचालित यू0ई0आई0 पाठ्यक्रम को जे0बी0टी0 प्रमाण पत्र के समकक्ष माने जाने के निर्णय को समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया ।

विषय सं0-क-27 विश्वविद्यालय के कुलसचिवों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान दिए जाने के संबंध में ।

विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को 01-01-1996 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान दिया जा रहा है। उक्त वेतनमान दिए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन तत्समय समन्वय समिति द्वारा किया गया था । शासन द्वारा यह अवगत कराया गया कि शासन कुलसचिवों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 01-01-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान दिए जाने पर तभी विचार कर सकता है, जब समस्त विश्वविद्यालय उक्त वेतनमान इस शर्त पर लागू किए जाने को सहमत हों, कि शासन इस संबंध में कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं देगा । समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा इस संबंध में एक सूचना इसलिये भी आवश्यक है, क्योंकि कुलसचिवों की सेवाएं स्थानांतरणीय हैं ।

2/ निर्णय लिया गया कि कुलपतिगण अपने अभिमत से शासन को अवगत करायेंगे ।

विषय सं0-क-29 नए विश्वविद्यालयों के स्वीकृत पदों के नियमानुसार भरे जाने के संबंध में ।

निर्णय लिया गया कि क्योंकि नए विश्वविद्यालयों को भारत सरकार से वित्तीय अनुदान की पात्रता के लिये कुछ न्यूनतम शैक्षणिक पदों का प्रतिबंध रखा गया है, अतः ऐसे विश्वविद्यालयों हेतु शासन द्वारा अथवा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों को नियमानुसार भरे जाने पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।

विषय सं-क-30 विभिन्न विश्वविद्यालयों में लंबित आडिट आपत्तियों की समीक्षा रेजिडेन्ट आडिटर की भूमिका ।

निर्णय लिया गया कि-

(1) समस्याओं के निराकरण एवं अन्य वित्तीय मामलों पर चर्चा हेतु कुलपति एवं संचालक, स्थानीय संपरीक्षा की एक बैठक प्रत्येक तीन माह में विश्वविद्यालयवार होगी ।

(2) विश्वविद्यालयों में पदस्थ रेज़िडेन्ट ऑडिटर प्रत्येक माह कुलपति से मिलकर उन्हें तथ्यात्मक वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे ।

(3) जब तक कोई असाधारण परिस्थिति न उत्पन्न हो, रेज़िडेन्ट ऑडिटर द्वारा किसी भी देयक को प्राविधिक रूप से पास न किया जावे । अपरिहार्य स्थितियों में भी पूर्ण औचित्य प्रतिपादित करते हुए कुलसचिव एवं कुलपति के अनुमोदनोपरांत ही प्राविधिक देयक पास किए जाएंगे ।

विषय 10-क-31 निजी महाविद्यालयों की मान्यता एवं सम्बद्धता प्रदान किए जाने विषयक ।

माननीय मंत्रीजी, उच्चशिक्षा द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हाल ही में बड़ी संख्या में खोले गए निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में यह बताया गया कि ऐसी शिकायतें मिलती रहती है, जिसमें यह ज्ञात होता है कि मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु संबंधित निजी महाविद्यालय निरीक्षण के समय निरीक्षण समिति के समक्ष समस्त वांछित अधोसंरचना प्रदर्शित कर शासन/विश्वविद्यालय से मान्यता/सम्बद्धता प्रदान कर लेते हैं, जबकि वास्तव में यह सुविधाएं छात्र-छात्राओं को उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं । यह भी देखा गया है कि ऐसे महाविद्यालय, जो विद्यार्थियों को समुचित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते, अपनी कमजोरी को ढांकने के लिये अवैधानिक तरीकों से परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को लाभ पहूंचाने का प्रयास करते हैं ।

(2) इस विषय पर महामहिम कुलाधिपतिजी एवं माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई एवं निर्णय लिया गया कि उच्चशिक्षा विभाग द्वारा एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाए, जो इन समस्त निजी संस्थाओं का निरीक्षण कर वांछित अधोसंरचना आदि की उपलब्धता का आंकलन कर उन्हें दीगई मान्यता/सम्बद्धता का पुनरीक्षण करे । यह राज्य स्तरीय समिति अपने सहयोग के लिये क्षेत्रीय समितियां गठित कर सकती है । इस राज्य स्तरीय समिति द्वारा ऐसे समस्त महाविद्यालयों का निरीक्षण पूर्ण कर अपना प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

विषय 10-क-32 तकनीकी महाविद्यालयों को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किए जाने के संबंध में

इस विषय को महामहिम कुलाधिपति महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु के रूप में सम्मिलित किया गया । निर्णय लिया गया कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम-1998 के परिप्रेक्ष्य में समस्त संबंधित महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2000-2001 से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होंगे ।

(2) इन महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए एकीकृत पाठ्यक्रम एवं एकीकृत परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत इसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाएगी ।

(3) द्वितीय वर्ष एवं उच्चतर कक्षाओं के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था उनके पूर्व पाठ्यक्रम के अनुसार राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न कराई जाएंगी, तथापि इन परीक्षाओं को सम्पन्न कराने में इन महाविद्यालयों से पूर्व में संबंधित विश्वविद्यालय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे ।

भाग- " ख " अध्यादेश

पंण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

(1) अध्यादेश क्रमांक-86 मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग बाय रिसर्च

विचार विमर्श के दौरान यह सूचना दिये जाने पर, कि गुरु घासीदास

है, पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया।

(2) अध्यादेश क्रमांक-106 बी०एच०एम०एस०

- प्रस्ताव मान्य किया गया।

(3) अध्यादेश क्रमांक-4 कंडीशन ऑफ एपाइंटमेंट ऑफ टीचर्स

निर्णय लिया गया कि स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25-26 अप्रैल, 2000 में विषय क्रमांक-7 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गठित समिति की अनुशंसानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(4) अध्यादेश क्रमांक-107 बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन

इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि समिति द्वारा निर्धारित अधोसंरचना आदि का पालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जावे।

(5) अध्यादेश क्रमांक-108 मास्टर ऑफ कम्प्यूटर मैनेजमेंट

समन्वय समिति की बैठक दिनांक 22-01-2000 में एम०सी०एम० पाठ्यक्रमों को अनुमोदित न किये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय अनुसार यह प्रकरण समन्वय समिति की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि समन्वय समिति द्वारा पुनर्विचार कर एम०सी०एम० पाठ्यक्रमों को चालू रखने का निर्णय लिया जाता है, तो इस अध्यादेश को भी मान्य किया जावे।

भाग- "ग"- परिनियम

3/ पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

(1) परिनियम क्रमांक-1 - टर्म्स एण्ड कंडीशन्स ऑफ सर्विस ऑफ दि कुलपति

प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ मान्य किया गया, कि यह शासन द्वारा निर्धारित अन्य मापदंडों/शर्तों के अधीन होगा।